(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 614–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–01–2006– पारित – व्दारा – आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 80/2003–04 निगरानी

रघुवरदास पुत्र रामचरणलाल बैरागी
कस्वा पोरसा जिला मुरैना म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1– कुसुमलता पत्नि सियाराम वर्मा
2– मीरादेवी पत्नि लक्ष्मीनारायण बैश्य
निवासीगण पोरसा जिला मुरैना --अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं)

आ दे श

(आज दिनांक 8-5 – 2016 को पारित)

आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 80/2003–04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27–01–2006 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पेश की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश इस प्रकार है कि आवेदक ने तहसीलदार पोरसा को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 संहिता की 115,

116 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग की कि पटवारी ने बिना किसी सक्षम आदेश के उसके स्वामित्व की ग्राम पोरसा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 837, 855, 856 कुल किता 3 कुल रकबा 0.353 है0के खसरा पंचशाला के खाना नंबर 10 में पूर्व में सड़क 0.240है., धर्मशाला 0.37 हैक्टर, गली 0.76 हैक्टर इन्द्राज कर दिया है जिसे दुरूस्त किया जाय। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 2/2002-02 अ-6-अ पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 17-10-02 पारित करके खसरे की उक्त प्रविष्टियॉ निरस्त कर दीं। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष अपील क्रमांक 40/02-03 दर्ज कराने पर अंतरिम आदेश दिनांक 5-2-03 से स्थगन आदेश जारी किया गया। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी क्रमांक 48/02-03 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 10-2-04 से निगरानी निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 80/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-01-2006 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण के अभिभाषक अंतिम तर्क के दौरान अनुपस्थित रहे हैं उनसे अपेक्षा की गई थी कि वह चाहें तो 10 दिवस के भीतर लेखी बहस प्रस्तुत कर सकते हैं, किन्तु उनकी ओर से आज तक लेखी बहस प्रस्तुत नहीं की गई है ।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर विचाराधीन निगरानी में मात्र यह देखना है

कि अनुविभागीय अधिकारी ने स्थगन आदेश पारित करते समय किसी प्रकार की त्रृटि की है अथवा नहीं ? इस संबंध में आयुक्त चम्बल संभाग के आदेश दिनांक 27-1-2006 एंव कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 10-2-2004 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील मेमो के साथ संहिता की धारा 52 के आवेदन पर विचार करते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 17-10-02 पर स्थगन जारी किया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 52 में स्पष्ट किया गया है कि यदि न्यायालय को समाधान हो कि मामले में सुविधा-सन्तुलन एंव अपूर्तनीय क्षति अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रतीत है, स्थगन दिया जाना चाहिये। विचाराधीन अपील प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी को अपीलीय न्यायालय की शक्तियॉ प्राप्त होने से स्थगन जारी किया है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है और इन्हीं कारणों से कलेक्टर मुरैना ने एंव आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना ने अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 80/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-01-2006 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर